भाग - III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2010

संख्या का०आ० 85/ह०अ० 6/2003/धा० 7/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 39/ह०अ० 6/2003/धा० 7/2010, दिनांक 15 फरवरी, 2010 का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि अनुसूची 'ग' में, क्रम संख्या 4क के अतिरिक्त क्रम संख्या 1 से 101, विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर मूल्य वर्धित कर व्यवहारी द्वारा देय कर पांच प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा। अनुसूची 'ग' में प्रविष्टि 4क में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर मूल्य वर्धित कर व्यवहारी द्वारा देय कर, 15 फरवरी, 2010 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के लिए 4 प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।